न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48 / 2022

सोहनलाल पुत्र धन्नाराम जाति स्वामी निवासी वार्ड न. 22 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बनाम ......प्रार्थी

1. राजाराम
2. मुलाराम
3. पालाराम
4. तीजादेवी

} पुत्रगण / पुत्री आशाराम अकवाम कुम्हार निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5. कमलादेवी पुत्री गुड्डीदेवी पुत्री आशाराम जाति कुम्हार निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. प्रेमकुमार
7. इन्द्रजीत

} पुत्रगण भूपराम अकवाम कुम्हार निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 / 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थिति :–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

– : : निर्णय : : –

दिनांक:– 04.10.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 ता 7 के नाम से वाके रोही उदयपुर सादानी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 27 / 8 वर्तमान खसरा नम्बर 139 / 27 में 6.325 हैक्टेयर बारानी में अप्रार्थी न. 1 ता 4 के नाम 4 / 6 हिस्सा व अप्रार्थी न. 5 के नाम से 1 / 6 हिस्सा व अप्रार्थी न. 6 व 7 के नाम से 1 / 6 हिस्सा रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त रकबा रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्ब[illegible] की माता / दादी शांतिदेवी पत्नी आसाराम को संवत 2027 में [illegible] उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 27 / 8 अब 139 / [illegible] आवंटन हुई जो अप्रार्थीगण 1 ता 7 की [illegible] दादी हैं उन्होंने तथ्य छिपाकर टी.सी. भूमि आ[illegible] करवायी हैं, [illegible] की निवासी थी व वह[illegible] अपने नाम [illegible] भूमि को छिपाकर [illegible]र को धोखा देकर टी.सी. आ[illegible] करवाया था व यही रकबा बाद में पुख्ता सन् 2007 मे करवा लिया व 2007

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

में रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर कर दिये जाने के बाद एक ही दिन मे खातेदारी सनद् लेकर एक ही दिन में खातेदारी का व विरासतन इन्तकाल करवा लिया है। रकबा पहले एन.एच. 15 अब 62 से दूर पड़ता था जो खातेदारी मिलने के बाद रोड़ के नजदीक आ गये व इन्तकाल के पीछे नक्शा बना कर गलत तरमीम करवा ली व रकबा आगे बेचान करने की फिराक में हैं। प्रार्थी राज्य सरकार का हितेषी होने के कारण यह शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि जैरप्रकरण रकबा रोही उदयपुर सादानी की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 1 के खसरा नम्बर 27/8 वर्तमान खसरा नम्बर 139/27 में 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि के तथ्य छुपाकर सरकार को नुकसान पहुंचाकर व छल व कपटपूर्वक से आवंटन व आंवटन की पालना में प्राप्त खातेदारी अधिकार व विरासतन इन्तकाल व नक्शा में हेर फेर कर रकबा को नेशनल हाईवे 62 पर दर्शाया होने से उक्त रकबा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध फौजदारी में मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश देने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 23.03.2022 को अप्रार्थीगण को आईन्दा तारीख पेशी तक पाबन्द किया गया कि जैरप्रकरण उक्त वर्णित कुल 6.325 हैक्टेयर को रहन बैय व हस्तान्तरण न करे व रिकार्ड व मौका की यथारिथति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने पर हाजिर अदालत आये व अप्रार्थी न. 1 राजाराम ने अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी ने अदालत के समक्ष झूठे व गलत तथ्य प्रस्तुत कर खातेदारी रकबा की अन्तर्गत धारा 11 – 14 कोलो. एक्ट के शिकायत की है। शिकायत प्रार्थना पत्र में जो तथ्य दिये गये हैं वो किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किये गये हैं। अदालत के समक्ष झुठा शपथ पत्र प्रस्तुत करके दिनांक 23.03.2022 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली कि " अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जैरवाद रकबा वाके रोही उदयपुर सादानी की जमाबन्दी संवंत 2069 ता 2072 के खाता सख्या 1 के खसरा नम्बर 27/8 वर्तमान खसरा नम्बर 139/27 में 6.325 हैक्टेयर बारानी भूमि को रहन बेचान व हस्तान्तरण न करे व रिकार्ड एवं मौका की यथारिथति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जावे "। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के प्रार्थना पत्र का व मूल शिकायत धारा 11/14 को.एक्ट का भी जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है व अप्रार्थीगण ने उपरोक्त शिकायत को गलत साबित करने के सारे साक्ष्य जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिये हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों के विद्वान [illegible] की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने [illegible] वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस की कि प्रार्थी [illegible] शिकायत के बिन्दुओं [illegible] यतकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने आसाराम के [illegible] हुए बहस की कि शांतिदेवी पत्नी [illegible] उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 27/8 अब 139/27 में 6.325 हैक्टेयर भूमि टी.सी. पर आवंटन हुई जो अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

1 ता 7 की माता व दादी हैं उन्होंने तथ्य छिपाकर टी.सी. भूमि आवंटन करवायी हैं, वह हनुमानगढ़ के गांव जण्डावाली की निवासी थी व वहां पर अपने नाम की भूमि को छिपाकर सरकार को धोखा देकर टी.सी. आवंटन करवाया था व यही रकबा बाद में पुख्ता सन् 2007 मे करवा लिया व 2007 में रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर कर दिये जाने के बाद एक ही दिन मे खातेदारी सनद् लेकर एक ही दिन में खातेदारी का व विरासतन इन्तकाल करवा लिया है। रकबा पहले एन.एच. 15 अब 62 से दूर पड़ता था जो खातेदारी मिलने के बाद रोड़ के नजदीक आ गये व इन्तकाल के पीछे नक्शा बना कर गलत तरमीम करवा ली व रकबा आगे बेचान करने की फिराक में हैं। प्रकरण के निर्णय से पूर्व ही स्थगन आदेश हटा दिया गया तो रकबा का आगे बेचान हो जाने से सरकार का भारी अर्थिक क्षति होगी।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न. 1 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की शिकायत हैं कि तथ्य छिपा कर रकबा आवंटन करवाया गया। इसके तहत धारा 11 कोलो.एक्ट में कार्यवाही न होकर आवंटन नियम 1975 के नियम 21 में प्रावधान हैं कि तथ्य छिपाकर करवाये गये आवंटन को आवंटन अधिकारी गलत माने तो वह आवंटन निरस्त कर सकता हैं। कोलो. एक्ट की धारा 11 काश्तकारी की शर्तो की अवहेलना करने पर ही माननीय जिला कलक्टर कार्यवाही कर सकता हैं व दोनो नियमों कीधाराओं को पढ़कर व्याख्या की गई। उनका यह भी कहना हैं कि आवंटित रकबे की खातेदारी सनद् मिलने के बाद उस पर आवंटन नियम लागू न होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू होते हैं न कि आवंटन नियम के प्रावधान लागू होते है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने शिकायत के बिन्दुओं पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/दादा आसाराम को जैर प्रकरण भूमि संवंत 2024 में 20 बीघा भूमि व 2025 में 25 बीघा भूमि एक साला निलामी पर आवंटन की गई थी व 2027 में आरजी काश्त पर आवंटन की गई व बाद में लगातार टी.सी. पर आवंटन रही व नवीनीकरण होता रहा व रकम व मालकाना जमा करवाते रहे। अप्रार्थीगण के पिता/दादा गांव उदयपुर सादानी के ही कदीमी निवासी थे। टी.सी. आवंटन के समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार इसी गांव के पुराने निवासी पेशा काश्तकारी व सन् 1955 के बाद कोई रकबा बेचान नहीं किया हैं कि रिपोर्ट होने के बाद ही टी.सी. आवंटन किया गया था। आसाराम टी. सी. धारक का स्वर्गवास दिनांक 23.07.2007 को हो जाने पर उनकी पत्नी शांतिदेवी ने तहसीलदार साहब के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद रिपोर्ट पटवारी उनके नाम टी.सी. दर्ज कर रकम मालकाना कायम करने के आदेश विधिवत् रूप से किये गये। आवंटन एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा टी.सी. से पुख्ता आवंटन करने के प्रोग्राम में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किय गये उसमें शांति देवी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पूरी जांच करने के बाद ही टी. सी. से पुख्ता आवंटन की पात्र होने पर सलाहाकार समिति की राय से दिनांक 14.08.2007 को [illegible] किया गया व बाद में रकबा उपनिवेशन विभाग से बाहर कर [illegible] व राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन दिनांक 31.05.2008 [illegible] प्रकार के बारानी रकबा की सीलिंग सीमा तक खातेदारी दी जा [illegible] हैं जबकि जैरप्रकरण में तो सिर्फ 25 बीघा [illegible] है। उनकी यह बहस भी है कि अप्रार्थीगण द्वारा सन् 2022 [illegible] होने से ही समस्त रकबा का बैयनामा द्वारा विक्रय किया जा चुका है व अप्रार्थी न. 2 मूलाराम का स्वर्गवास हुए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

काफी समय हो गया। एक मृतक के विरूद्ध झुठा शपथ पत्र दिया गया हैं व मौजूदा शिकायत रकबा आवंटन करवाने बावत हैं न कि रकबा तरमीम की है। तरमीम पटवारी हल्का गिरदावर द्वारा की जाती हैं जो बहुत बाद की प्रक्रिया हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नही हैं जिनके विरूद्ध शिकायत की गई हैं व जैरप्रकरण रकबा को रहन बैय न करने की निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया है, वह रकबा तो वर्षो पहले बिक जाने से व मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाकर अदालत के समक्ष सही तथ्य छिपाकर व अदालत को गुमराह करके गैर कानूनी निषेधाज्ञा जारी करवायी गई हैं जिस दिन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवायी गयी। उस दिन भी वह अकृत व शून्य थी। शिकायतकर्ता सोहनलाल को इन तथ्यों का पूरा ज्ञान था। चूंकि वह स्वंय हेतराम द्वारा बेचान की गई भूमि में गवाह हैं। अप्रार्थीगण क विरूद्ध रंजिशवश शिकायत की गई हैं, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की तर्कपूर्ण बहस सुनी गई। शिकायत पत्रावली व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मूल टी.सी. आंवटन पत्रावली, जैर प्रकरण भूमि की पुख्ता आवंटन पत्रावली व खातेदारी जारी की जाने वाली मूल पत्रावली का भी गहनता से अध्ययन व मनन किया गया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का भी सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया। टी.सी. पत्रावली से साबित हैं कि सबसे पहले जैरप्रकरण रकबा आसाराम को संवंत 2024 में आवंटन हुआ था जो पहले एक साला निलामी पर था व संवंत 2027 में टी.सी. पर आंवटन होकर पुख्ता आवंटन तक लगातार 54 वर्षो से कब्जा काश्त में व टी.सी. नवीनीकरण होता रहा। दिनांक 14.08.2007 को शांतिदेवी के नाम से पुख्ता आवंटन हो गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त रकबा को दिनांक 18.10.2007 को उपनिवेशन विभाग से बाहर कर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के अधीन कर दिया गया व इन नियमों के नियम 18 II के तहत तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 30.07.2008 को खातेदारी अधिकार जारी कर सनद् जारी कर दी व जरिये इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज हो गई व शांति देवी के स्वर्गवास हो जाने पर विरासतन जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी 1 ता 7 के नाम अपने अपने हिस्सा अनुसार बतौर खातेदार दर्ज हो गया व जैरप्रकरण शिकायत प्रस्तुत करने व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से पूर्व ही सारा रकबा का बेचान होकर खरीददारान के नाम राजस्व रिकार्ड में आ चुका हैं जो इस पत्रावली में पक्षकार नहीं हैं व अप्रार्थी न. 2 मूलाराम का भी शिकायत प्रस्तुत होने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी व शिकायतकर्ता स्वंय एक बैयनामा में गवाह हैं। पत्रावली मे प्रस्तुत मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र व आसाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र सभी दस्तावेज गांव उदयपुर सादानी के बने हुए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा आज दिनांक तक ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे शिकायत की पुष्टि होती हो। टी.सी. आंवटन पत्रावली पुख्ता आवंटन पत्रावली व खातेदारी जारी करने की पत्रावली में कहीं [illegible] या संदेहास्पद तथ्य नहीं है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा जो [illegible] द्वारा दिनांक 23.03.2022 को जारी की गई थी। उसमें मौजूदा अप्रार्थी[illegible] को रकबा रहन बैय न करने के लिए पाबन्द किया गया था [illegible] शिकायतकर्ता द्वारा सही तथ्य नहीं ब[illegible] हुई। जब जैरप्रकरण रकबा पूर्व में ही बेचान हो गया व और आगे [illegible] हो गया। यह तथ्य पत्रावली में प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

बैयनामों की चित्रप्रतियों से साबित हैं। जब रकबा पूर्व में ही बेचान हो गया व मौजूदा अप्रार्थीगण के नाम से कोई रकबा शेष नही हैं। मूलाराम अप्रार्थी न. 2 शिकायत से पूर्व ही फौत था तो ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 23.03.2022 अपने आप में ही निष्प्रभावी आदेश हैं। इस प्रकार मौजूदा शिकायत में शिकायतकर्ता द्वारा बिना सही जानकारी प्राप्त किये आधारहीन शिकायत प्रस्तुत की हैं जिसके सारे तथ्य रिकार्ड से साबित होने के बाद शिकायत आधारहीन व रिकार्ड के विपरीत प्रस्तुत की हुई होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र तथा इस न्यायालय द्वारा जारी एक तरफा स्थगन आदेश दिनांक 23.03.2022 खारिज किया जाता हैं। शिकायतकर्ता को तरमीम संबंधी आपत्ति हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner